जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक 23.03.2024**

लोक सभा चुनाव-2024 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत FST (फ्लाईंग स्क्वायड टीम) द्वारा चैकिंग के दौरान कार चालक से 3 लाख 50 हजार रुपये बरामदः-

लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को निर्विघ्न, शान्तिपूर्ण एव निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देशो के अनुपालन में जनपदधिकारी/जनपद निर्वाचन अधिकारी शामली के द्वारा चैकिंग हेतु FST (फ्लाईंग स्क्वायड टीम) का गठन किया गया है।

उक्त क्रम में दिनांक 22.03.2024 को पुलिस अधीक्षक जनपद शामली के निर्देशन में उड़न दस्ता टीम (FST-कैराना) द्वारा थाना कैराना क्षेत्रान्तर्गत यमुना ब्रिज पर चैकिंग के दौरान स्विफ्ट गाड़ी संख्या DL5CH8870 की चैकिंग की गयी तो गाड़ी चालक अंकुश अग्रवाल पुत्र सुरेन्द्र अग्रवाल निवासी ए 228/9 सौरभ बिहार जैतपुर बदरपुर दिल्ली के पास एक बैग में 3 लाख 50 हजार रुपये नगद बरामद हुए। उपरोक्त रूपयों के सम्बन्ध में गाड़ी चालक से दस्तावेज मांगे गये तो कोई दस्तावेज नही दिखा सका। बरामदगी के सम्बन्ध में आयकर विभाग को सूचना से अवगत कराते हुए थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गाडी चालकः-

1.अंकुश अग्रवाल पुत्र सुरेन्द्र अग्रवाल निवासी ए 228/9 सौरभ बिहार जैतपुर बदरपुर दिल्ली।

बरामदगी का विवरणः-

3 लाख 50 हजार रुपये नगद।

चैकिंग करने वाली फ्लाईंग स्क्वायड / पुलिस टीमः-

1.श्री कुंवरपाल सिंह (मजिस्ट्रेट) अवर अभियन्ता अधिकारी जनपद शामली।
2.उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना कैराना जनपद शामली।
3.उ0नि0 श्री आनन्द कुमार थाना कैराना जनपद शामली।
4.हे0का0 पवन थाना कैराना जनपद शामली।
5.चालक हरेन्द्र थाना कैराना जनपद शामली।

साइबर क्राइम पुलिस थाना शामली की त्वरित कार्यवाही से फर्जी चैक के माध्यम से पीडित के खाते से निकाली गयी 94300/- रूपये की सम्पूर्ण धनराशि वापस करायी गयी।

दिनाँक 13.03.2024 को श्री रविन्द्र पाल पुत्र श्री राजपाल सिंह निवासी ग्राम सुन्ना थाना कांधला जनपद शामली द्वारा शिकायत की गयी थी कि उनके पंजाब नेशनल बैंक के खाते से फर्जी चैक के माध्यम से 94,300/- रूपये की धनराशि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा निकाल ली गयी थी।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के निर्देशन में साइबर क्राइम पुलिस थाना शामली द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद शामली द्वारा पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारीगण से सम्पर्क कर समस्त अभिलेखों सहित पत्राचार किया गया जिस पर पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारीगण द्वारा अभिलेखों की सत्यता की जाँच कर पीडित के बैंक खाते से फर्जी चैक से निकाली गयी सम्पूर्ण धनराशि 94,300/- पीडित के खाते मे वापस करायी गयी। वादी श्री रविन्द्र पाल द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक शामली, साइबर क्राइम पुलिस थाना शामली का आभार व्यक्त किया है।

साइबर क्राइम पुलिस थाना शामली टीम

1.श्री संजीव भटनागर प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम पुलिस थाना शामली।
2.क0ऑ0 विकास चौधरी साइबर क्राइम पुलिस थाना शामली।
3.का0 अनुज कुमार साइबर क्राइम पुलिस थाना शामली।

<u>थाना बाबरी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 10 लीटर कच्ची शराब बरामदः-</u>

आज दिनांक 23.03.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार आगामी लोक सभा चुनाव-2024 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु चलाए जा रहे अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल पर्यवेक्षण में थाना बाबरी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को अवैध 10 लीटर कच्ची शराब सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बाबरी पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.प्रकाश पुत्र श्यामसिंह निवासी ग्राम रायपुर थाना बाबरी जनपद शामली।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1.अवैध 10 लीटर कच्ची शराब।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1.उ0नि0 श्री रामवीर सिंह थाना बाबरी जनपद शामली।

2.का0 हातम सिहं थाना बाबरी जनपद शामली।

3.का0 सचिन कुमार थाना बाबरी जनपद शामली।

थाना थानाभवन पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामदः-

आज दिनांक 23.03.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार आगामी लोक सभा चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल नेतृत्व में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामद हुए हैं। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1.गुलबहार पुत्र फारुख निवासी ग्राम सोन्टा रसूलपुर थाना थानाभवन जनपद शामली।

2.इकराम पुत्र वाजिद निवासी ग्राम सोन्टा रसूलपुर थाना थानाभवन जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर (गुलबहार)।

2.अवैध 01 तमंचा 12 बोर(पोनिया) मय 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर (इकराम)।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री देवेन्द्र सिंह थाना थानाभवन जनपद शामली।

2.है0का0 प्रमोद कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली।

3.है0का0 मुद्दसिर खान थाना थानाभवन जनपद शामली।